

कार्यालय—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ललितपुर।

आदेश संख्या/

180

/2019-20 दिनांक 22-07-2019

प्रबन्धक,

मुन्नालाल रामेश्वर प्रसाद रावत जूनियर हाईस्कूल,

तरगुवाँ, तालबेहट जनपद—ललितपुर।

विषय—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 16 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम-15 के उपनियम (4) के अधीन 6 से 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण—पत्र।

महोदय/महोदया,

शासनादेश संख्या 89/अरसठ-3-2018-2041/2018 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 में निहित निर्देशानुसार आपके दिनांक 08.07.18 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्तवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश मण्डल स्तरीय मान्यता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मैं आपके विद्यालय को एक वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 6 से 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन है—

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय में संचालित होने वाली प्रत्येक कक्षा में (यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगी।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय में पृथक बैंक खाता रहेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसके आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा—
 - I. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - II. किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधधीन नहीं किया जायेगा।
 - III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भी भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
 - VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए

रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल

प्रधानाध्यापक सह कार्यालय सह भंडागार के कक्षा कक्षों की संख्या-18

बालक और बालिकाओं के पृथक शौचालय-है।

पेयजल सुविधा-है।

मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई-

बाधा रहित पहुँच- है।

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता- है

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित कोड 09370403906/2019 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट शीघ्र सूचना प्रस्तुत करता है जो समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिए अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता संबंधी शर्तों के संतत अनुपालन का सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाये।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाए।
17. प्रशिक्षित अध्यापक ही रखे जायें।
18. विभागीय आदेशों की अवहेलना करने पर अथवा अनियमितता पाये जाने पर मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

भवदीय

(मनोज कुमार वर्मा)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
ललितपुर।

पृष्ठांकन संख्या/मान्यता/2990-94/2018-19

तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-अपर शिक्षा निदेशक बेसिक, उ०प्र० शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 2-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) झांसी मण्डल, झांसी।
- 3-जिला समाज कल्याण अधिकारी, ललितपुर।
- 4-संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 5-कार्यालय आदेश पत्रावली।

(मनोज कुमार वर्मा)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
ललितपुर।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ललितपुर

पत्रांक/मान्यता/नवी0/ 11024-27 /2020-21 दिनांक- 10-11-2020
प्रबन्धक,

मुन्नालाल रामेश्वर प्रसाद रावत जूनियर हाईस्कूल,
तरगुवाँ, तालबेहट, ललितपुर।

विषय-विद्यालय मान्यता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक कार्यालय के पत्रांक/मान्यता/2990-94/2019-20 दिनांक 22-7-2019 के द्वारा आपको अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम की अनन्तिम मान्यता एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की गयी थी। एक वर्ष के उपरान्त पुनः खण्ड शिक्षा अधिकारी तालबेहट, ललितपुर से निरीक्षण कराया गया। खण्ड शिक्षा अधिकारी तालबेहट के निरीक्षण दिनांक 06-11-2020 की आख्या के अनुसार विद्यालय व्यवस्थित रूप एवं निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16(एम)तदक्रम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के विहित प्राविधानों के अन्तर्गत मानक एवं शर्तों का पालन करता है।

आपके द्वारा दिनांक 18-9-2020 को पत्रावली प्रस्तुत की गयी। उक्त पत्रावली को खण्ड शिक्षा अधिकारी तालबेहट को जाँच हेतु प्रेषित किया गया। शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08 मई 2013 एवं शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041-2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 के क्रम में निरीक्षण किया गया। खण्ड शिक्षा अधिकारी तालबेहट द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या में अंकित किया कि शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार विद्यालय संचालित है। खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के क्रम में आपके विद्यालय को शासनादेश के पैरा 13 के तहत कक्षा 6 से 8 तक(अंग्रेजी/हिन्दी) अग्रिम शैक्षिक सत्र 2020-21 से संचालित/नवीनीकृत किया जाता है।

(राम प्रवेश)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
ललितपुर।

पृष्ठांकन सं0/मान्यता/

/2019-20 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक)उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)झाँसी मण्डल झाँसी।
- 3- खण्ड शिक्षा अधिकारी तालबेहट, ललितपुर।

(राम प्रवेश)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
ललितपुर।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ललितपुर।

पत्रांक/मान्यता/ 2137-40

/2019-20 दिनांक 01-07-2019

प्रबंधक,

मुन्नालाल रामेश्वर प्रसाद रावत,
प्रा0वि0 तरगुवां,
विकासखण्ड-तालबेहट,
जनपद-ललितपुर।

विषय-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 16 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम-15 के उपनियम (4) के अधीन 01 से 5 तक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय

शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2019 में निहित निर्देशानुसार आपके द्वारा दिये गये आवेदन दिनांक 08.04.2019 के क्रम में इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्तवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश जिलास्तरीय मान्यता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मैं आपके विद्यालय को मान्यता पत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 01 से 5 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय में संचालित होने वाली प्रत्येक कक्षा में (यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगी।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय में पृथक बैंक खाता रहेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसके आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-
 - I. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - II. किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उर्तीण की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भी भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
 - VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल

प्रधानाध्यापक सह कार्यालय सह भंडागार के कक्षा कक्षों की संख्या
बालक और बालिकाओं के पृथक भौचालय
पेयजल सुविधा
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई
बाधा रहित पहुँच

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित कोड संख्या 093740403905/2019 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट शीघ्र सूचना प्रस्तुत करता है जो समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिए अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता संबंधी शर्तों के संतत अनुपालन का सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाये।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाए।
17. प्रशिक्षित अध्यापक ही रखे जायें।
18. विभागीय आदेशों की अवहेलना करने पर अथवा अनियमितता पाये जाने पर मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

पृष्ठांकन संख्या/मान्यता/ 2137-40 /2019-20
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक बेसिक, उ0प्र0 शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) झांसी मण्डल झांसी।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड-तालबेहट।

(मनोज कुमार वर्मा) 01/7/19
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
ललितपुर।
तददिनांक।

(मनोज कुमार वर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
ललितपुर।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ललितपुर

पत्रांक/मान्यता/नवी0/ 11028-31 /2020-21 दिनांक-10-11-2020

प्रबन्धक,

मुन्नालाल रामेश्वर प्रसाद रावत प्राथमिक विद्यालय,
तरगुवाँ, तालबेहट, ललितपुर।

विषय-विद्यालय मान्यता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक कार्यालय के पत्रांक/मान्यता/2137-40/2019-20 दिनांक 01-7-2019 के द्वारा आपको अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम की अनन्तिम मान्यता एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की गयी थी। एक वर्ष के उपरान्त पुनः खण्ड शिक्षा अधिकारी तालबेहट, ललितपुर से निरीक्षण कराया गया। खण्ड शिक्षा अधिकारी तालबेहट के निरीक्षण दिनांक 06-11-2020 की आख्या के अनुसार विद्यालय व्यवस्थित रूप एवं निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16(एम)तदक्रम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के विहित प्राविधानों के अन्तर्गत मानक एवं शर्तों का पालन करता है।

आपके द्वारा दिनांक 18-9-2020 को पत्रावली प्रस्तुत की गयी। उक्त पत्रावली को खण्ड शिक्षा अधिकारी तालबेहट को जाँच हेतु प्रेषित किया गया। शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08 मई 2013 एवं शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041-2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 के क्रम में निरीक्षण किया गया। खण्ड शिक्षा अधिकारी तालबेहट द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या में अंकित किया कि शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार विद्यालय संचालित है। खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के क्रम में आपके विद्यालय को शासनादेश के पैरा 13 के तहत कक्षा 1 से 5 तक(अंग्रेजी/हिन्दी) अग्रिम शैक्षिक सत्र 2020-21 से संचालित/नवीनीकृत किया जाता है।

(राम प्रवेश)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
ललितपुर।

पृष्ठांकन सं0/मान्यता/

/2019-20 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक)उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)झाँसी मण्डल झाँसी।
- 3- खण्ड शिक्षा अधिकारी तालबेहट, ललितपुर।

(राम प्रवेश)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
ललितपुर।